राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बीना देवी बनाम हंसराज

तारीख हुक्म	860/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित हेतु पत्रावली दिनांक 06/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
06/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 580/0.05, 529/0.19, 528/0.09, 531/0.05, 537/0.08, 587/0.11, 493/0.17, 530/0.09, 593/0.19 किता 09 रकबा 1.02 हैक्टेयर वाके ग्राम बीदारा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी से संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सहदायिकी है, जिन्होने वर्णित आरातजी में से नवीन जमाबन्दी में अंकितानुसार अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 21.4.2009 को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग वादीगण को कब्जा वरवक्त हकत्याग समभा दिया था तथा वादीगण उक्त आराजी पर काबिज एवं आबाद रहकर उक्त आराजी को अपने उपयोग-उपभोग में लेता आ रहा है। पटवारी ने हक त्याग पत्र दिनांक 21.04.2009 के अनुसार वादीगण के हक में हकत्याग पत्र का नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया एवं खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम चली आ रही है तथा नामान्तकरण की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन में अब बेईमानी आ जाने से आ. ख. न. 580/0.05 हैक्टेयर में हिस्सा 12 का दिनांक 21.04.2009 के हकत्याग के बावजूद दिनाक 13.05.2009 को आराजी का विधि विरुद्ध विक्रय प्रतिपादी सं. 3 व 4 को कर दिया है, जो पश्चातवर्ती विक्रय होने से वादीगण के हकअधिकारों पर शुरू से ही शून्य व निष्प्रभावी होने से काबिले दुरुस्ती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में एलानिया धमकी दी कि हम हक़त्याग के मुताबिक खाता नही खुलने देगें तथा सम्पूर्ण आराजी का बाला बाला बेचान कर कब्जा दीगर व्यक्तियों का करवायेंगे तथा हक़त्याग खारिज करवाने हेतु हमने शपथ पत्र पेश कर दिया है तथा उक्त सम्पूर्ण आराजी का बेचान यथाशिघ्र करवायेगें तथा पटवारी से मिलकर हमने आपका खाता रुकवा रखा है। इस कारण वादपत्र पेश राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने भी एलानिया धमकी दिनांक 23.03.2009 को दी है कि हमने उक्त आराजी खसरा नम्बर 580 को खरीद कर नाममन्तकरण करवा लिया है तथा हम कब्जा करके रहेगे। इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण आराजी से वादीगण को बेदखल कर किसी दिगर व्यक्ति को विक्रय कर दिया एवं स्वयं के कब्जा कर लिया, तो वादीगण को भारी अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूति किसी भी धन राशी के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा अनेक मुकदमें बाजी बाजी में फसना पडेगा | वाद पत्र के अन्त में निवेदन किया है कि आ.ख.न. 580/0.05.529/0,19, 528/0.09, 531/0.05 537/0.08. 587/0.11, 493/0.17, 530/0.09, 593/0.19 किता 9 रकबा 1.02 हेक्ट. वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का मुताबिक हकत्याग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जाये |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादीगण के उपस्थित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अमरसर में नियत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य वाद संख्या 156/2016 को इस वाद पत्र के साथ दोनों प्रकरणों में विवादित भूमि एक समान होने का कथन करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15/05/2017 को लोक अदालत की भावना से दोनों वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमा दिया गया एवं तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 02/08/2017 पारित किया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में पत्रावली नियत कर राजीनामे को उल्लेखित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को नुमाईशी होना एवं उसके आधार पर हुये राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज को अवैध एवं गैर क़ानूनी होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथा तत्पश्चात संशोधित निर्णय पारित किया गया है,जो विधि के प्रावधानों के परिदृश्य में उचित प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15/05/2017 लोक अदालत में पत्रावली नियत कर अपीलार्थी जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रेता है,

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बीना देवी बनाम हंसराज हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
860/2017	(3)	

का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी ख़ारिज करते हुये राजीनामे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15/05/2017 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 02/08/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर